

## रेल टिकटों पर धन वापसी के संशोधित नियम, 1 जुलाई, 2013 से लागू

रेलयात्री टिकट निरस्तीकरण एवं किराए की धन वापसी नियम 1998 को पिछले 15 वर्षों में समग्रता से संशोधित नहीं हो पाए हैं। इस अवधि के दौरान भारतीय रेलवे की टिकट प्रणाली में अनेक परिवर्तन हुए हैं। कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली के साथ-साथ कम्प्यूटरीकृत अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली से जारी होने वाली टिकटों में भी काफी इज़ाफा हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से भी टिकट आरक्षित कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और कुल रेल आरक्षित टिकटों का 45 प्रतिशत इंटरनेट से जारी किए जाते हैं। एकीकृत रेलगाड़ी पूछताछ प्रणाली का दूरभाष नं0 139 काम कर रहा है जिस पर एसएमएस भेजकर टिकटों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। उपरोक्त बदलावों के मद्देनज़र रेल टिकटों पर धन वापसी के नियमों को व्यापक रूप से संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किराये पर धन वापसी के संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। ये नियम 01.07.2013 से प्रभावी होंगे। धन वापसी के नियमों में किए गए संशोधनों का उद्देश्य इन्हें सरल और प्रभावी बनाने के साथ-साथ धन वापसी के फर्जी दावों में भी कमी लाना है।

मौजूदा नियमों में किए गए बड़े बदलाव और धन वापसी नियमों में किए गए संशोधन निम्नानुसार हैं :-

**अप्रयुक्त टिकट जिन पर कोई आरक्षण नहीं किया गया है-**

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
<p>यदि किसी टिकट जिस पर किसी सीट या शायिका का आरक्षण नहीं किया गया है को निरस्त करा कर किराये की धनवापसी के लिए स्टेशन मास्टर को प्रस्तुत की जाती है तो लिपिकीय प्रभार काटने के पश्चात् ही प्रत्येक ऐसे टिकट पर किराए की धनवापसी दी जाएगी।</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. जिस रेलगाड़ी के लिए टिकट जारी किया गया है उस रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के तीन घंटों के भीतर।</li><li>2. ऐसा कोई भी टिकट जो पूरे दिन के लिए वैध है, उस गंतव्य स्टेशन को उस दिन जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के तीन घंटों के बाद।</li></ol>	<p>यदि किसी टिकट, जिस पर किसी सीट या शायिका का आरक्षण नहीं किया गया है, को निरस्त करा कर किराये की धनवापसी के लिए प्रस्तुत की जाती है तो लिपिकीय प्रभार काटने के पश्चात् ही प्रत्येक ऐसे टिकट पर किराए की धनवापसी दी जाएगी।</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. टिकट को जारी होने के तीन घंटों के भीतर ही निरस्तीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाये।</li><li>2. यदि कोई टिकट अग्रिम रूप से जारी किया गया है तो उसे यात्रा वाले दिन से एक दिन अर्थात् 24 घंटे पहले तक प्रस्तुत किया जाये।</li></ol>

**ऐसे अप्रयुक्त टिकट जिन पर कोई आरक्षण किया गया है-**

- (क) यदि टिकट रेलगाड़ी के नियत प्रस्थान के समय से अड़तालीस घंटे से पहले (वर्तमान में 24 घंटे के स्थान पर) रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वातानुकूलित पहले दर्जे/एकजीक्यूटीव दर्जे के लिए एक सौ बीस रूपए, वातानुकूलित टू टीयर/पहले दर्जे के लिए सौ रूपए, वातानुकूलित 3 टीयर/3 इकोनोमी/वातानुकूलित कुर्सीयान के लिए नब्बे रूपए, स्लीपर दर्जे के लिए साठ रूपए, द्वितीय दर्जे के लिए तीस रूपए की सपाट दर पर प्रति यात्री रद्दकरण प्रभार की कटौती की जाएगी ।
- (ख) यदि टिकट रेलगाड़ी के नियत प्रस्थान के समय से अड़तालीस घंटे और छह घंटे के पहले (वर्तमान में 24 घंटे तथा 4 घंटे के स्थान पर) तक रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो रद्दकरण प्रभार के न्यूनतम दर के अधीन रहते हुए रद्दकरण प्रभार किराए का पच्चीस प्रतिशत होगा ।
- (ग) यदि किसी टिकट को रेलगाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय के पहले मौजूदा चार घंटों के बजाये छः घंटों के भीतर तथा 2 घंटे तक निरस्तीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है और रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय के बाद मौजूदा 200 किलोमीटर/200-500 किलोमीटर/500 किलोमीटर से अधिक के लिए 3/6/12 घंटे की दूरी और समय का ध्यान किए बिना प्रस्तुत किया जाता है तो निरस्तीकरण प्रभार किराये का 50 प्रतिशत होगा बशर्ते कि यह प्रभार के न्यूनतम दर के अधीन हो ।
- (घ) यदि टिकट जोकि रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय के दो घंटों के बाद निरस्तीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे किसी भी आरक्षित टिकट पर कोई धन वापसी नहीं दी जायेगी ।
- (ङ) एक व्यक्ति से अधिक के लिए जारी किसी पार्टी टिकट या किसी कुटुंब टिकट की दशा में जिसमें कुछ व्यक्तियों का कन्फर्म आरक्षण हो और अन्य कोई प्रतीक्षासूची पर हों वहां कन्फर्म यात्रियों के लिए लिपिकीय प्रभार कम करके किराए का पूर्ण प्रतिदाय होगा और यह उपबंध है कि रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के पहले छह घंटे के भीतर (वर्तमान में 4 घंटे के स्थान पर) और रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के दो घंटे पश्चात् (वर्तमान में 3 घंटे के स्थान पर) तक पूर्ण टिकट अभ्यर्पित कर दी जाती है ।

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
<p>यदि किसी टिकट को रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय के बाद मौजूदा 200 किलोमीटर/200-500 किलोमीटर/500 किलोमीटर से अधिक के लिए 3/6/12 घंटे तक प्रस्तुत किया जाता है तो लिपिकीय प्रभार को काटने वाले मामलों को छोड़कर ।</p> <p>रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच प्रस्थान करने वाली (वास्तविक प्रस्थान) रेलगाड़ियों के टिकटों पर धनवापसी ऊपर बताई गई समय सीमा अथवा आरक्षण कार्यालय खुलने के बाद के पहले चार घंटों के भीतर इनमें से जो भी बाद में हो, ही की जायेगी ।</p>	<p>यदि प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट या (आरएसी) टिकट रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो लिपिक प्रभार की कटौती करने के पश्चात् किराए की धन वापसी दी जायेगी ।</p> <p>1- रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय के पश्चात् तीन घंटे तक दूरी को ध्यान में रखे बिना रद्दकरण के लिए टिकट प्रस्तुत किया गया है ।</p> <p>2- यात्री किसी भी यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटर या अभिहित चालू काउंटरो से अपनी टिकटें निरस्त करा सकेंगे ।</p> <p>3- आरएसी/प्रतीक्षा सूची के टिकटों को यदि रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय के 3 घंटों के बाद निरस्तीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे टिकटों पर किराए की कोई धन वापसी नहीं होगी ।</p> <p>4- रात्रिकालीन समय 21.00 बजे से 06.00 बजे के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों से यात्रा करने के लिए यात्रा प्रारंभ करने वाले रेलवे स्टेशन पर यदि कोई भी करंट काउण्टर उपलब्ध न हो तो स्टेशन पर आरक्षण कार्यालय में कार्य समय के पहले दो घंटों के भीतर उन टिकटों पर किराए की धन वापसी दी जायेगी ।</p> <p>5- दूर-दराज के अथवा पहाड़ी क्षेत्रों, जैसा कि क्षेत्रीय रेलों द्वारा अपने-अपने महाप्रबन्धकों के पूर्व अनुमोदन के पश्चात समय सारणी में ऐसे स्थानों को मान्यता देते हुए प्रकाशित किया गया है, में सायं 07.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों के टिकटों पर धनवापसी आरक्षण कार्यालय खुलने के प्रारम्भिक 2 घंटों के कार्य समय के भीतर प्रदान की जायेगी बशर्ते कि उस क्षेत्र में कोई भी आरक्षण/बुकिंग कार्यालय/चालू टिकट खिड़की उपलब्ध न हो ।</p>

### ई-टिकटों का रद्दकरण-

- (1) इंटरनेट के माध्यम से ई-टिकट बुक और रद्दकरण किए जा सकेंगे तथा किराए की वापसी लागू प्रभारों की कटौती करने के पश्चात् ग्राहक के खाते में जमा होगी ।
- (2) कन्फर्म ई-टिकट के मामले में किराए की धनवापसी अप्रयुक्त आरक्षित टिकटों के नियमों के अनुसार प्रदान की जायेगी । यदि ई-टिकट आरएसी है तो किराए की धनवापसी अप्रयुक्त प्रतीक्षा सूची और आरएसी टिकटों के लिए लागू होने वाले नियम ही मान्य होंगे ।
- (3) यदि प्रतीक्षा सूची के किसी ई-टिकट पर अंकित यात्रियों की प्रतीक्षा सूची आरक्षण चार्ट बनने के बाद भी नहीं बदलती तो उस टिकट के यात्रियों के नाम आरक्षण चार्ट से निकाल दिए जाएंगे और लिपिक प्रभार की कटौती करने के पश्चात् ग्राहक के खाते में किराए की धनवापसी भेज दी जायेगी ।
- (4) एक से अधिक व्यक्तियों के लिए यात्रा के लिए जारी किसी पार्टी की टिकट या किसी कुटुंब का टिकट की दशा में कुछ व्यक्तियों को पुष्ट आरक्षण और अन्य को आरएसी आरक्षण और प्रतीक्षा सूची में है, आरएसी आरक्षण या प्रतीक्षा सूचीबद्ध यात्रियों के यात्रा न करने की दशा में टिकट जांच कर्मचारी से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र होगा, टिकट जांच कर्मचारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के ब्यौरे को दर्शित करते हुए और टीडीआर द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से धन वापसी की प्रक्रिया होगी ।
- (5) ऑनलाइन टीडीआर (टिकट निक्षेप रसीद) यात्री के गंतव्य पर रेलगाड़ी के पहुंचने के वास्तविक समय के बहत्तर घंटे तक फाइल किया जाएगा और टिकट जांच कर्मचारी द्वारा जारी किया गया मूल प्रमाण-पत्र भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को डाक द्वारा भेजा जाना है । समुचित सत्यापन के पश्चात् आईआरसीटीसी ग्राहक के खाते में धन वापसी कर देगी ।
- (6) ई-टिकटों [पुष्टिकृत या रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी)] की दशा में यदि आरक्षण चार्ट तैयार कर लिया गया है तो प्रतिदाय अभिप्राप्त करने के लिए ऑनलाइन टीडीआर का फाइल किया जाना अपेक्षित है । रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय के दो घंटे के पश्चात् जब प्रतिदाय का ऑनलाइन अनुरोध फाइल किया गया है की दशा में, पुष्टिकृत आरक्षण वाले ई-टिकट पर किराए का कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा।
- (7) रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय के तीन घंटे के पश्चात् जब प्रतिदाय का ऑनलाइन अनुरोध पालन किया गया है उस दशा में, रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) ई-टिकट पर किराए का कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा

### **तत्काल टिकटों पर किराए की धन वापसी-**

- (1) कन्फर्म तत्काल टिकट पर किराए की धन वापसी नहीं होगी ।
- (2) प्रतीक्षा सूचीबद्ध तत्काल टिकट की दशा में अप्रयुक्त प्रतीक्षा सूची या आरएसी टिकट केनियमों के अनुसार धन वापसी की जायेगी ।
- (3) एक से अधिक व्यक्तियों की यात्रा के लिए जारी किए गए पार्टी तत्काल टिकट या कुटुंब तत्काल टिकट की दशा में जब कुछ व्यक्तियों का आरक्षण कन्फर्म है और अन्यो का प्रतीक्षा सूची में है तो कन्फर्म यात्रियों को भी लिपिकीय प्रभार कम करने के पश्चात् किराए की पूरी धन वापसी होगी । ऐसा तब होगा जबकि संपूर्ण तत्काल टिकट रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से पूर्व छः घंटे के भीतर या रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय से दो घंटे तक प्रस्तुत कर दिया गया है ।

### **आरक्षित, आरएसी या प्रतीक्षा सूचीबद्ध के टिकटों को अंकित तिथि से पहले अथवा बाद में करना ।**

कन्फर्म, आरएसी या प्रतीक्षा सूची के टिकटों पर अंकित तिथि को पहले अथवा बाद में करने की अनुमति उसी श्रेणी और उसी गंतव्य के लिए दी जाएगी न की किसी अन्य रेलगाड़ी में अथवा उच्च श्रेणी में या किसी अन्य गंतव्य तक के लिए । ऐसा तभी किया जाएगा जबकि टिकट को आरक्षण कार्यालय की कार्य अवधि के दौरान प्रस्तुत किया जाए और उसे वास्तविक रूप से बुक कराए गए टिकट में अंकित रेलगाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से मौजूदा 24 घंटों की बजाय कम से कम 48 घंटे पहले प्रस्तुत किया जाए ।

### **रेलगाड़ियों के विलंब से चलने के कारण यात्रा का प्रारंभ न किया जाना या चूक जाना-**

- \* रेलगाड़ी के प्रस्थान स्टेशन पर उसके निर्धारित प्रस्थान समय से तीन घंटों से अधिक विलंब से चलने वाली रेलगाड़ियों में यदि आरक्षित, आरएसी और प्रतीक्षा सूची के टिकट धारकों ने यात्रा नहीं की है तो बिना निरस्तीकरण प्रभार अथवा लिपिकीय प्रभार वसूल बिना उनके टिकटों पर पूरे किराए की धन वापसी की जाएगी । किन्तु यह तभी किया जाएगा जबकि टिकट को रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय तक निरस्तीकरण व धन वापसी के लिए प्रस्तुत किया गया है न कि रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय के बाद 200 किलोमीटर/200-500 किलोमीटर/500 किलोमीटर से अधिक के लिए मौजूदा 3/6/12 घंटों के अंतर्गत किया जाए ।
- \* ई-टिकटों के मामलों में पूरी किराए की धन वापसी के लिए रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान से पहले टीडीआर को ऑन लाइन फाइल किए जाने की स्थिति में दी जाएगी ।
- \* यदि टिकट रद्द करा दिया जाता है अथवा जमा करा दिया जाता है अथवा धनवापसी के लिए ऑन लाइन आवेदन रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के बाद किया जाता है तो किराए पर कोई धन वापसी नहीं दी जाएगी ।

### **खोए हुए, मिल न पा रहे, फटे या विकृत टिकट-**

यदि किसी खोये हुए, गुम हुए, फटे हुए और नष्ट हुए रेल टिकट की स्थिति कन्फर्म अथवा आरएसी में आ जाते हैं तो उस रेलगाड़ी का आरक्षण चार्ट बनने से पहले ही डुप्लीकेट टिकट जारी करने का आवेदन प्राप्त होने के बाद ही डुप्लीकेट टिकट जारी की जायेगी। खोये हुए/नष्ट हुए टिकटों के बदले डुप्लीकेट टिकट जारी करने से पहले स्टेशन मास्टर मौजूदा लिपिकीय प्रभार के बदले द्वितीय अथवा शयनयान श्रेणी का टिकट होने के मामले में प्रति यात्री 50/- रुपये तथा अन्य श्रेणियों के लिए प्रति यात्री 100/- रुपये का प्रभार लेगा।

### **"अन्य परिस्थितियों में यात्री आरक्षण पद्धति (पीआरएस) टिकटों के किरायों की धन वापसी के लिए आवेदन:-**

इन नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाने से भिन्न या ऐसी परिस्थितियां जैसे बंद या आंदोलन या बाढ़ आदि के अधीन किराए के प्रतिदाय के लिए यात्री, टिकट के रद्दकरण के लिए आरक्षण खिड़की या स्टेशन या चालू खिड़कियों पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उन दशाओं में यात्री को टीडीआर (टिकट निक्षेप रसीद) जारी किया जाएगा और यात्री यात्रा प्रारंभ करने की तारीख से दस दिन के भीतर (वर्तमान में 90 दिनों के स्थान पर) टीडीआर जारी करने वाला स्टेशन जिस मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/धन वापसी के अंतर्गत आता है, को धन वापसी के लिए टीडीआर (टिकट निक्षेप रसीद) संलग्न करते हुए धन वापसी के लिए आवेदन करेगा। टीडीआर (टिकट निक्षेप रसीद) रेलगाड़ी के नियत समय के पश्चात् केवल तीन दिन (वर्तमान में 30 दिनों के स्थान पर) तक ही जारी किया जाएगा।